भारतीय जेलों में स्वास्थ्य का अधिकार: एक उपेक्षित मानवाधिकार और सुधारों की आवश्यकता

UPSC प्रासंगिकता - प्रारम्भिक परीक्षा: शासन और सामाजिक न्याय, सामान्य विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और समसामयिक घटनाएँ

मुख्य परीक्षा - GS पेपर II: सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा, संक्रामक रोग और आपदा प्रबंधन; GS पेपर IV: मानवीय मूल्य और प्रशासनिक नैतिकता

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

"जेल की दीवारें कैदी और उसके मौलिक अधिकारों के बीच अवरोध पैदा नहीं कर सकतीं।" न्यायपालिका के इस स्पष्ट संदेश के बावजूद, भारत की सुधारक संस्थाएं आज स्वयं 'बीमार' नजर आ रही हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की जेलों में 'हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस' (HSV) के प्रकोप और उससे हुई मौतों ने एक बार फिर जेलों की दयनीय स्थिति, अत्यधिक भीड़भाड़ और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत में जेल प्रशासन 'जेल अधिनियम, 1894' द्वारा शासित होता है, जो औपनिवेशिक काल का कानून है और कैदियों के अधिकार के बजाय उनके नियंत्रण पर अधिक केंद्रित है। हालाँकि, समय-समय पर 'मुल्ला समिति' (1983) और 'कृष्ण अय्यर समिति' (1987) ने जेल सुधारों की सिफारिश की।
- आधुनिक संदर्भ में, 'मॉडल जेल मैनुअल 2016' राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, लेकिन इसका कार्यान्वयन आज भी स्वैच्छिक और असमान है। जेलों में स्वास्थ्य का मुद्दा हमेशा से द्वितीयक रहा है, जिसे केवल 'आपातकालीन प्रबंधन' के रूप में देखा जाता रहा है।
- 20 अगस्त 2025 से 9 मार्च 2026 के बीच जलपाईगुड़ी केंद्रीय सुधार गृह में लगभग 92 कैदी HSV से संक्रमित हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई।
- इसके अतिरिक्त, 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025' और 'प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2023' के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जेलें अब सुधार गृह नहीं, बल्कि संक्रामक रोगों के प्रजनन केंद्र बन गई हैं।

संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

1. अत्यधिक भीड़भाड़: संकट की जड़

भारत की जेलों में अधिभोग दर स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक है।

- **आंकड़े:** पश्चिम बंगाल की जिला जेलों में यह 160% से अधिक है, जबकि कुछ स्थानों पर यह 400% तक पहुँच गई है।
- **प्रभाव:** भीड़भाड़ के कारण स्वच्छता और अलगाव असंभव हो जाता है। केरल में 30% कैदी त्वचा रोगों से ग्रस्त पाए गए, जिसका मुख्य कारण व्यक्तिगत स्थान का अभाव और नमी थी।

IAS-PCS Institute

2. संक्रामक रोगों का उच्च प्रसार

जेल का वातावरण टीबी (TB), एचआईवी (HIV) और वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल है।

- **TB का जोखिम:** 'द लांसेट' के अनुसार, कैदियों में टीबी होने की संभावना सामान्य आबादी से 5 गुना अधिक है। खराब वेंटिलेशन और सीलन वाले सेल इसके प्रमुख कारण हैं।
- **HIV और स्क्रीनिंग की कमी:** साझा उपकरणों और प्रवेश के समय अपर्याप्त चिकित्सा जांच के कारण जेलों में एचआईवी का प्रसार राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

3. चिकित्सा बुनियादी ढांचे और कर्मियों का अभाव

रिपोर्ट्स के अनुसार, जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा चरमरा गया है।

पदों की रिक्तियां: चिकित्सा अधिकारियों के 43% पद खाली हैं। प्रति डॉक्टर कैदियों की संख्या निर्धारित मानक से 2.6 गुना अधिक है।

मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा: 5.7 लाख कैदियों के लिए पूरे देश में केवल 25 मनोवैज्ञानिक उपलब्ध हैं, जो कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर उदासीनता को दर्शाता है।

Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

न्यायिक दृष्टिकोण और सुप्रीम कोर्ट के महत्त्वपूर्ण आदेश:

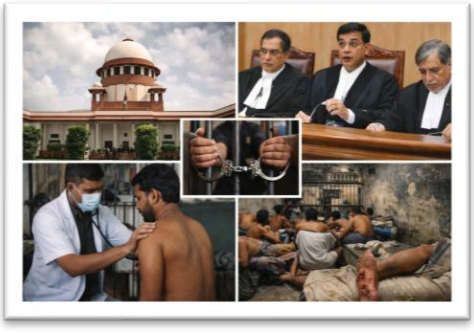

भारतीय न्यायपालिका ने बार-बार 'जीवन के अधिकार' (अनुच्छेद 21) के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को समाहित किया है:

- **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978):** सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार जेल की दीवारों पर खत्म नहीं होते। कैदी को मानवीय परिस्थितियों में रहने का अधिकार है।
- **परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989):** अदालत ने कहा कि प्रत्येक घायल नागरिक/कैदी को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
- **राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (1997):** सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़, अनुचित चिकित्सा सुविधाओं और कैदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार पर चिंता व्यक्त की और सुधारों के निर्देश दिए।

- **Inhuman Conditions in 1382 Prisons (2016):** इस मामले में न्यायालय ने प्रत्येक जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता और विचाराधीन कैदियों की स्थिति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश दिया था।

संबंधित मुद्दे और चुनौतियां:

- **विचाराधीन कैदियों की अधिकता:** भारत की जेलों में लगभग 75% कैदी विचाराधीन हैं। मुकदमों में देरी जेलों को भरने का प्राथमिक कारण है।
- **विदेशी नागरिकों की वापसी:** जेलों में कई विदेशी नागरिक सजा पूरी होने के बाद भी केवल कागजी औपचारिकताओं के कारण बंद हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है।
- **बजट का अभाव:** स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जेलों को आवंटित बजट अत्यंत कम है और इ से अक्सर अन्य प्रशासनिक खर्चों में डाइवर्ट कर दिया जाता है।

आगे की राह:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के साथ एकीकरण:** जेलों को अलग इकाई न मानकर उन्हें एनएचएम (NHM) के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य बजट और सुविधाएं सीधे उपलब्ध हों।
- **अनिवार्य स्क्रीनिंग और वेंटिलेशन:** प्रवेश के समय अनिवार्य 'कॉम्प्रेहेंसिव मेडिकल स्क्रीनिंग' और जेल परिसरों में वायु-संचार (Ventilation) की स्थिति में सुधार टीबी जैसे रोगों को रोक सकता है।

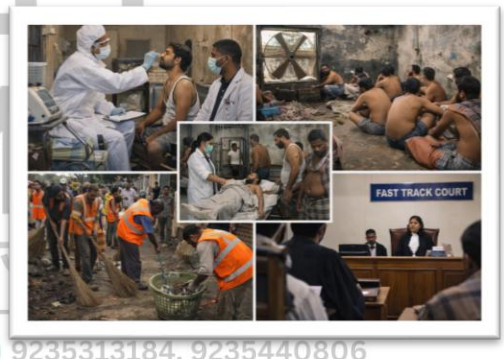

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- **गैर-हिरासत विकल्प:** मामूली अपराधों के लिए जमानत के नियमों को उदार बनाना और सामुदायिक सेवा जैसे विकल्पों को अपनाना चाहिए ताकि भीड़भाड़ कम हो सके।
- **रिक्तियों को भरना:** चिकित्सा अधिकारियों और मनोवैज्ञानिकों के पदों को युद्ध स्तर पर भरना अनिवार्य है।
- **फास्ट-ट्रैक कोर्ट:** विचाराधीन कैदियों के मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

निष्कर्ष:

जेल सुधार केवल भौतिक ढांचे का निर्माण नहीं है, बल्कि यह कैदियों के प्रति समाज और राज्य के दृष्टिकोण में बदलाव का नाम है। यदि भारत स्वयं को एक सभ्य लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि 'दंड' का अर्थ 'यातना' या 'बीमारी' न हो। जलपाईगुड़ी की घटना एक चेतावनी है कि यदि हम अब नहीं जागे, तो हमारी सुधार संस्थाएं केवल 'मृत्यु गृह' बनकर रह जाएंगी।

IAS-PCS Institute

(स्रोत: द हिन्दू)

यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारतीय जेलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मॉडल जेल मैनुअल 2016 के अनुसार, जेलों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ अनिवार्य रूप से एकीकृत किया गया है।
2. 'द लांसेट पब्लिक हेल्थ' के अनुसार, भारत में कैदियों में तपेदिक विकसित होने की संभावना सामान्य आबादी की तुलना में पांच गुना अधिक है।
3. 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025' के अनुसार, भारत की जेलों में चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर रिक्तियों की दर 40% से अधिक है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

प्रश्न 2. हाल ही में चर्चा में रहा 'हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वायरस केवल अत्यधिक भीड़भाड़ वाली स्थितियों में ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
2. कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों में यह 'एन्सेफलाइटिस' का कारण बन सकता है, जो जानलेवा हो सकता है।
3. जेलों में खराब वेंटिलेशन और नमी इस वायरस के प्रसार के लिए प्राथमिक कारक नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

IAS-PCS Institute

प्रश्न. "जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ न केवल कैदियों की गरिमा का उल्लंघन करती है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक 'टिक-टिक' करते बम के समान है।" जेल सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों का उपयोग करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु न्यायिक और प्रशासनिक उपायों पर चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806